(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) Due to load shedding by Delhi Electric Supply Undertaking there have been frequent interruptions of power supply on these two days.

(b) Teaching took place without interruption.

(c) and (d) No, Sir.

(e) and (f) Due to paucity of funds it has not been possible to make alternative arrangement for power supply in all Kendriya Vidyalayas.

फसल बीमा योजना

2057. **श्री राम जेठमलानीः** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार फसल बीमा योजना का विस्तार करने और उसे प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की रूपरेखा क्या है, और नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (ग) जी, हां।

विद्यमान योजना में एक संशोधन सरकार के विचाराधीन है ताकि प्रीमियम दरों को संगत बना कर तथा फसलों और किसानों की कवरेज को बढ़ा कर उसे व्यवहार्य बनाया जा सके। संशोधित योजना को अंतिम रूप दिये जाते ही उसे क्रियान्वित किया जायेगा।

Rail Car/E.M.U. between Dibrugarh and Tinsukia

2058. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether rail car used to run between Dibrugarh and Digboi on Dibru-Sadiya Railway during pre-Independence era had good patronage and popularity; if so, periods during which it used to run and its frequency; and

(b) whether Government propose to introduce rail car or diesel multiple unit shuttle between Dibrugarh and Tinsukia after completion of gauge conversion in the current year in view of heavy traffic potential between these towns, if so, by when and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) No, Sir.

(b) Rail car/EMU shuttle between Dibrugarh and Tinsukia after gauge conversion, are not proposed in the current year due to operational/ technical/resource constraints.

केन्द्रीय विद्यालय की भर्तियों में आयु सीमा में छूट

2059. **श्री शिव चरण सिंहः**
श्री गोविन्दराम मिरीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा सीधी भर्ती करते समय कुछ पदों के संदर्भ में तो विभागीय अभ्यार्थियों को आयु की उच्चतम सीमा में छूट दी जाती है; किन्तु सभी पदों के संदर्भ में यह छूट नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त पवयव्यवस्था भारत सरकार की तत्संबंधी नीति एवं निर्देशों के अनुरूप है; और

(घ) यदि हां, तो संबद्ध प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि शासी बोर्ड ने प्रत्यक्ष भर्ती के मामले में अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षा अधिकारी के पद को

छोड़ कर, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को आयु में छूट प्रदान करने का अनुमोदन किया है।

(ग) और (घ) शासी बोर्ड केन्द्रीय विद्यालय संगठन में विभिन्न पदों के लिए भर्ती संबंधी नियम बनाने में सक्षम है।

बलात्कार रोकने हेतु कदम

2060. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी: क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने केन्द्रीय सरकार से बालिकाओं के साथ बलात्कार विरोधी कानून को और कठोर बनाने हेतु एक अध्यादेश जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय महिला आयोग ने "आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 1996" नामक एक अध्यादेश लागू करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें भारतीय दण्ड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन प्रस्तावित है ताकि बालिकाओं के साथ होने वाले अपराधों के मामले में दण्ड को कड़ा बनाया जा सके, और बलात्कार के जुर्म में दोषी व्यक्तियों को बिना किसी ठोस कारण के बचने से रोकने के लिये प्रणालीगत परिवर्तन किये जा सकें।

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग से प्राप्त सिफारिशों को भारत के विधि आयोग को भेज दिया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की व्यापक समीक्षा का कार्य कर रहा है।

Steps to stop deforestation

2061. SHRI THENNALA BALA KRISHNA PILLAI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the total area of deforestation in the country; state-wise;

(b) the steps taken to prevent it; and

(c) how much amount has been spent on deforestation last year, State-wise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (CAPT. JAI NARAIN PRASAD NISHAD): (a) As per The State of Forest Report 1993 there has been net increase of 925 sq. km. in forest cover of the country. Only 11 States have shown decline in forest cover. The state-wise details of the forest cover is annexed as Statement (See below).

(b) Following steps are taken to pre vent deforestation in the country:—

— Enactment of forest Conservation Act, 1980 to regulate diversion of forest land for non-forestry purposes.

— Implementation of Indian Forest Act, 1927 and Wildlife Protection Act, 1972 to check forest and wildlife offences.

— Conservation of rare and threatened species of wildlife and unique habitats of great biological significance through implementation of special programmes like Project Tiger, Project Elephant, etc.

— Large scale afforestation/reforestation under Central and State Government schemes.

— Encouraging wood substitution and promoting fuel saving devices to reduce consumption of wood.

— Extending agro-forestry and integrated wastelands development programmes over non-forest areas to reduce pressure on the natural forests.

— Implementation of Joint Forest Management with the involvement of village communities and voluntary agencies in protection and regeneration of forests.

(c) The information is being collected from the State/UT Governments and will be laid on the Table of the House.